500 Rs cost

R/C

24 02/2020 पत्रावली पेश हुई / अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार उपस्थित है जवाब हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कर [illegible] [illegible] हो। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 15.4.2020 को पेश हो।

15 04/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी ~~निर्वाचन कार्य~~ लाकडाउन में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 15.07.2020 को पेश हो।

15 7/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी ~~निर्वाचन कार्य~~ लाकडाउन में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 07.09.2020 को पेश हो।

07 09/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी ~~निर्वाचन कार्य~~ अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 05.11.2020 को पेश हो।

05 11/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्वाचन कार्य। में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 11.02.2021 को पेश हो।

11 02/2021 पत्रावली पेश हुई / अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस निवेदन की।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) [illegible]गढ
जिला-राजसमन्द

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द

…81… सन् 2017 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र

रमेशचन्द्र वगैरह बनाम राजस्थान राज्य

| आदेशिका | हस्ताक्षर/सूचना |
|---|---|
| ग्राम हमेरपाल की आराजी नम्बर 896/3 रकबा 01-15-00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में है। उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या (1) के दादा व (2)(3) के पिता का कब्जा वर्ष 1973 से पूर्व से था व उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 17.12.1973 को उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के आदेश क्रमांक 89/1973 से बिरमा पिता नन्दा भील को किया गया। उक्त भूमि बिरमा द्वारा आबाद करने से तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा लिखित रूप से श्रीमान उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द को प्रेषित की गई व श्रीमान उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय उदयपुर को पत्रावली प्रेषित की गई जिसमें श्रीमान जिलाधीश महोदय उदयपुर द्वारा उक्त भूमि चरागाह से मुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है व उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द ने बिरमा पिता ~~नन्दा~~ भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज करने व शास्ति प्रति 5 रुपये वसूल करने एवं लगान सम्वत 2027 से प्रति वर्ष राशि वसूल करने के आदेश हुए हैं व उक्त आदेश की पालना में इन्तकाल नम्बर 441 फैसल किया गया परन्तु उक्त इन्तकाल का अमल प्रथम राजस्व जमाबंदी में नहीं किया गया। ~~अब~~ विपक्षी उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने हेतु तत्पर है अतः मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में ~~विरुद्ध~~ विपक्षी के जारी | सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला–राजसमन्द |

Scanned with CamScanner

भी जावे कि प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करे।

-विपक्षी पैरवीकार सरकार उपस्थित-

अवलोकन किया गया। विपक्षी ने अपने जवाब में बताया है कि आ.नं. 896/3 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ग्राम छेहरवाल के हाल आ.नं. 896/1, कुल रकबा 8.12.10 बीघा ग्राम पंचायत तलादरी चारागाह भूमि है जिसके किसी भी भाग पर प्रार्थीगण का आधिपत्य अथवा कब्जा काश्त नहीं है। भूमि चारागाह होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ है। ऐसी भूमियों का आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, प्रार्थीगण न तो उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार है न ही गैर खातेदार है, उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार चारागाह भूमि है।

चूंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं है अतः सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में नहीं है न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति हो रही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नाबद से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

Scanned with CamScanner